# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– श्री विरेन्द्र सिंह यादव ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 67 / 2017
कैम्प ग्रा.पंचायत :– श्रीनगर

**उनवान**

1 दिनेशचन्द कुमावत पुत्र गोपालचन्द कुमावत जाति कुमावत नि0 ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
-- प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

**बनाम**

1. जमना देवी पत्नी शिवराज
2. धमेन्द्र
3. प्रकाश
4. हेमलता पिता शिवराज समस्तजाति कुमावत नि0 श्रीनगर, नसीराबाद
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- अप्रार्थीगण :– 2 जरियें अधिववक्ता श्री दिनेश मेहरा
3 स्वयं
5 जरियें राज0 पैरोकार

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते मार्गाधिकार प्रदान करने हेतु।

---

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 13.6.18

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4244 / 0.22, 4249 / 0.20, 4250 / 0.02 की आराजी प्रार्थी की सहखातेदारी की है। ग्राम श्रीनगर में ही प्रार्थी की अन्य भूमि खसरा नम्बर 2951, 2972 / 7263, 2993, 3007, 4245, 4248, 4271, 4989, 4991, 4992 / 8593, 5150, 5155, 5158, 5998 व 6004 / 1 स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 4247 रकबा 0.21 की भूमि है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेतों में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 4247 का उपयोग करता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी के आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। अतः खसरा नम्बर 4247 में 30 फीट चौडा व 150 फीट लम्बा रास्ता दिलाने की कृपा करावे। व उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावने की कार्यवाही करावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रकरण में अपनी स्वीकारोक्ति पेश की। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 ने कैम्प श्रीनगर में उपस्थित हो कर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में 14 फीट लम्बा व 150 फीट चौडा रास्ता देने हेतु हम सहमत है। एवं उक्त भुमि के बदले राशि की एवज में उन्हे भूमि ही चाहिये।
उभयपक्ष को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज0 पैरोकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अनुशीलन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4244 / 0.22, 4249 / 0.20, 4250 / 0.02 की आराजी प्रार्थी की सहखातेदारी की है। खसरा नम्बर 4247 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रकरण में अपनी सहमती पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 अनुपस्थित रहे है। किन्तु अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या 3 ने कैम्प श्रीनगर में उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि उन्हे भूमि के बदले राशि की एवज में भूमि ही चाहिये साथ ही वे 30 फीट चौडा रास्ता देने के बजाय 14 फीट चौडा रास्ता देने में ही सहमत है। प्रार्थी ने भी उक्तानुसार अपनी सहमती जाहिर की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4247 रकबा 0.21

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट श्रीनगर

किस्म नहरी 1 में से 14 फीट चौडा व 150 फीट लम्बा रास्ता सिवायचक रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। एवं उक्त रास्ते की एवज में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 4248 रकबा 0.22 किस्म नहरी 1 में से 14 फीट चौडी व 150 फीट लम्बी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की जावे। खसरा नम्बर 4248 में से उक्त भूमि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 4247 से लगती हुयी दी जावे। खसरा नम्बर 4248 में से 14 फीट चौडी व 150 फीट लम्बी भूमि का पंजीयन व मुद्रांक राशि अप्रार्थीगण द्वारा जमा कराने के पश्चात तहसीलदार नसीराबाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक 13.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
नसीराबाद
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :-